

पंजीकृत
प्रेषक

महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला

सेवा में,

हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य।

यादी क्रमांक : 24/38 -2023 सी0-7(4)

दिनांक, पंचकूला । 29/7/2024

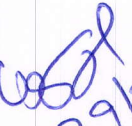
विषय: राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों की वर्ष 2023-24 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट्स ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लिखने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

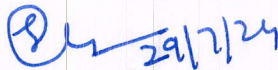
प्रायः यह देखने में आया है कि राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट निश्चित समय पर नहीं भेजी जाती जिस कारण कई महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि Extension in services/Senior scale/ Selection Grade एवं Promotion में अनावश्यक विलम्ब होता है। इसलिए आप अपने अधीनस्थ कार्यरत सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों की वर्ष 2023-24 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित अवधि में विभाग को भिजवाये:-

2. सभी प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि उनके कॉलेज में कार्यरत सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट परीक्षा परिणाम अवश्य निदेशालय में भेजें। अगर गोपनीय रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं हुई तो उसके लिये प्राचार्य स्वयं जिम्मेवार होंगे।
2. सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की हिदायतों को ध्यान में रखकर ऑनलाइन भरी जायें। विशेष तौर से सत्यानिष्ठा बारे टिप्पणी के सम्बंध में कुछ प्राचार्य सत्यानिष्ठा के कॉलम में Satisfactory/Average या ऐसे शब्द जो सत्यानिष्ठा से सम्बन्धित नहीं हैं, लिखते हैं, जोकि हिदायतों के विरुद्ध हैं। इस बारे स्पष्ट रूप से सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों की सत्यानिष्ठा बारे टिप्पणी अंकित करें। यदि सहायक/एसोसिएट प्रोफेसर की सत्यानिष्ठा बारे कोई विपरीत टिप्पणी दी जाती है तो उससे सम्बन्धित दस्तावेज भी गोपनीय रिपोर्ट्स के साथ अपडेट करें तथा पूर्ण विवरण भरें।
3. प्राचार्य/रिपोर्टिंग अधिकारी के अधीनस्थ यदि कोई कर्मचारी उनका सगा-सम्बन्धी कार्यरत है तो वह उनकी गोपनीय रिपोर्ट में overall ग्रेडिंग (रिपोर्टिंग) लिखने के लिये प्राचार्य सक्षम नहीं है। इन परिस्थितियों में उनके Self appraisal में उनकी सत्यानिष्ठा तथा Vigilance Inquiry/Criminal Case Pending नहीं है, बारे सत्यापित रिपोर्ट अंकित करते हुये उनकी गोपनीय रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर भरें।
4. प्राचार्य के सेवानिवृत्त होने के कारण अगर गोपनीय रिपोर्ट निदेशालय द्वारा लिखी जानी है तो सहायक/एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा भरे गये सैल्फ अप्रेजल प्रोफार्मा में सत्यानिष्ठा का कॉलम महाविद्यालय के कार्यालय रिकार्ड के आधार पर वर्तमान प्राचार्य द्वारा ऑनलाइन भरे तथा सत्यानिष्ठा का कॉलम अधूरा न छोड़ा जाये।

5. सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों द्वारा भरे गये परीक्षा परिणाम को रिकार्ड के आधार पर प्रमाणित करें एवं परीक्षा परिणामों की विश्वविद्यालय की पास प्रतिशत तथा महाविद्यालय की प्रतिशत का अन्तर अवश्य भरा जाये। यदि सहायक/एसोसिएट प्रोफेसर की पास प्रतिशत विश्वविद्यालय से कम है और प्राचार्य इस बात से सहमत है कि सहायक/एसोसिएट प्रोफेसर का इसमें कोई दोष नहीं है तो इस सम्बंध में पूरा विवरण अंकित करते हुए टिप्पणी दें।
6. सहायक/एसोसिएट प्रोफेसर शिक्षा सत्र के दौरान 30 जून से पूर्व तीन माह तक जिस महाविद्यालय में नियमित या प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है गोपनीय रिपोर्ट उसी महाविद्यालय के प्राचार्य (जिस प्राचार्य की देख-रेख में कार्य किया गया हो) द्वारा लिखी जाये।
7. प्राचार्य द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाए कि उनके महाविद्यालय में कितने सहायक/एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत है तथा कोई ए0सी0आर0 भेजी जानी शेष नहीं है। यदि ऐसी कोई ए0सी0आर0 लम्बित रखी जाती है तो उनका पूर्व विवरण देते हुए कारण स्पष्ट किया जाये।
8. प्राचार्य द्वारा यह भी सत्यापित किया जाये कि असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसर के विरुद्ध Vigilance inquiry/criminal cases pending नहीं है।
9. ऑनलाइन वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भरने हेतु जारी हिदायतों की प्रति भी संलग्न है।
10. **नोट:-** सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों द्वारा दिनांक **31.08.2024** से पूर्व अपनी-2 सैल्फ अप्रेजल रिपोर्ट भरकर अपने Reporting officer/ Principal को भिजवाना सुनिश्चित करें तथा सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को भी निर्देश दिए जाते हैं कि वह अपने अधीनस्त कार्यरत सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों की सैल्फ-अप्रेजल रिपोर्ट दिनांक 30.09.2024 तक निदेशालय को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि किसी कार्यवंश नहीं भेजी जाती है तो उस वर्ष की सैल्फ-अप्रेजल रिपोर्ट को रद्द माना जाएगा, जिसके लिए सहायक/एसोसिएट प्रोफेसर/प्राचार्य स्वयं जिम्मेवार होंगे।

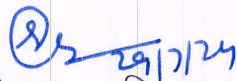

29/7/24

पृष्ठांकन क्रमांक-सम-


अधीक्षक महाविद्यालय-7
कृते: निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

दिनांक, पंचकूला 29/7/2024

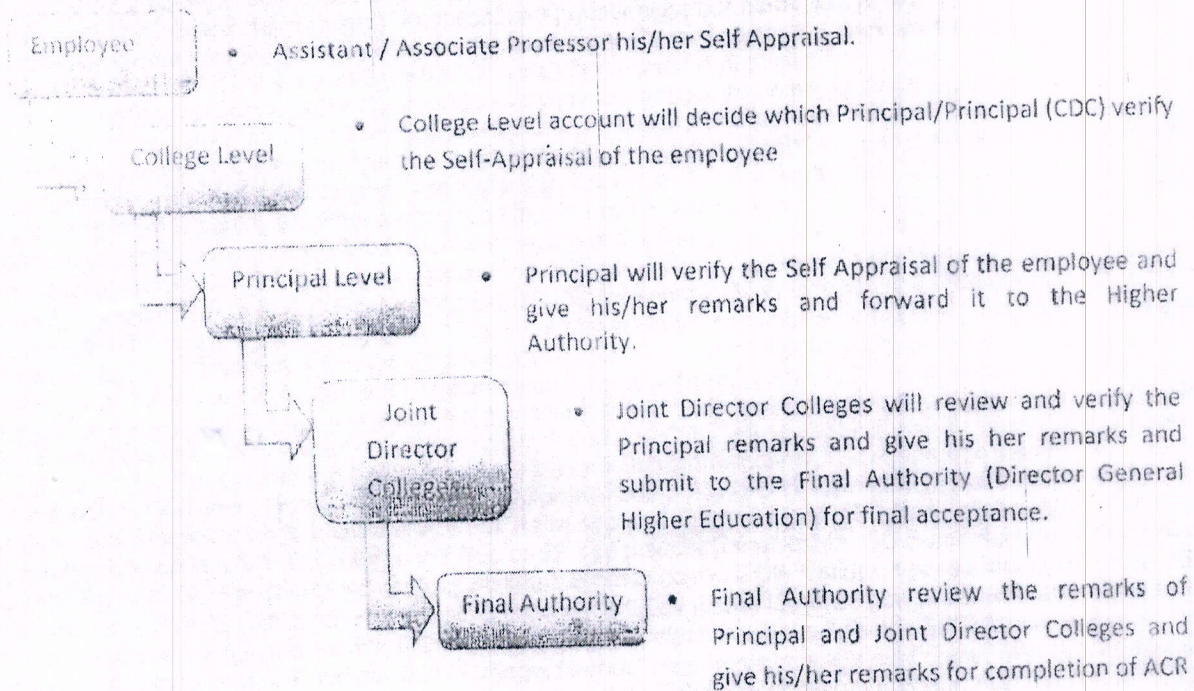
इसकी एक प्रति इन्चार्ज आई0टी0 सैल को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


अधीक्षक महाविद्यालय-7
कृते: निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

Instructions for Filing Online ACR:

There will be following levels for filing the Online ACR;

- 1st Level (Employee): Employee (Assistant/Associate Professor) will fill his/her Self-Appraisal using his MIS login-credentials and after obtaining O.T.P then submitted to Principal. (Time Limit - 15 Days)
- 2nd Level (College Level): College Level account will decide which Principal Verify the Self-Appraisal of the employee and send to the concerned Principal on online A.C.R portal. (Time Limit -15 Days)
- 3rd Level (Principal Level): Principal will verify the Self-Appraisal of the employee and give his/her remarks and forward to the Higher Authorities after obtaining O.T.P (Time Limit -15 Days)
- 4th Level (Joint Director-Colleges): Joint Director -Colleges will review and verify the Principal remarks and give his/her remarks and submit to the Final Authority (Director General Higher Education, Haryana) after obtaining O.T.P. for final acceptance (Time Limit -15 Days)
- 5th Level (Final Authority-Director General Higher Education): Final Authority (Director General Higher Education, Haryana) review the remarks of Principal and Joint Director Colleges and give his/ her remarks for completion of A.C.R (Time Limit -15 Days)



Note :-

1. All officials need to use their MIS credentials for log in to Online ACR Portal.
2. Link : <http://112.196.99.108/acr/> or acr.highereduhry.ac.in